दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

Phone: 2761392/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305
Email: mpagrohobpl@gmail.com

आर सी ओ क्रमांक उद्यान / 2019 / 1
31.03.2021 एवं आगे के लिये

प्रमाणित मसाला एवं बरसीम बीजों के प्रदाय हेतु
रेट कांट्रेक्ट ऑफर

दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक
18.06.2019 अपरान्ह 2.00 बजे तक

उप महाप्रबंधक (उद्यान)

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
Panchanan, 3rd Floor, Malviya Nagar, Bhopal-462 003
Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305
Email: mpagrohobpl@gmail.com
CIN No U01119MP19695GC001055

मुख्या/आर सी ओ/उद्यान/2020–21/.......... भोपाल, दिनांक 29.5.2020

रेट कान्ट्रेक्ट आफर (आर सी ओ) द्वितीय आमंत्रण सूचना

निगम द्वारा 31.03.2021 एवं आगे के लिये निगम द्वारा निम्नानुसार सामग्रियों के लिये रेट कान्ट्रेक्ट आफर आमंत्रित किये जाते है :

आर सी ओ क्रमांक	सामग्री का नाम	आर सी ओ प्रपत्र का मूल्य (जीएसटी सहित)	संकल्प धन राशि
उद्यान/1/2020	प्रमाणित मसाला एवं बरसीम बीज (Certified seed)	रू 5900/..	रू 1,00,000/–

आर.सी.ओ. में निर्दिष्ट आर्हताएं पूर्ण करने वाले उत्पादक/प्रदायक से ई टेन्डरिंग के अन्तर्गत दर प्रस्ताव संकल्प धनराशि के साथ दिनांक 18.06.2020 को अपरान्ह 2 बजे तक आमंत्रित किये जाते है। विस्तृत जानकारी www.mptenders.gov.in तथा निगम की वेबसाईट http://mpagro.org पर उपलब्ध है। दस्तावेज www.mptenders.gov.in से अपलोड किए जा सकेंगे तथा इसी वेबसाईट पर डाउनलोड किए जाना हैं । रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर सूचना में कोई संशोधन/परिवर्तन किये जाने की दशा में संशोधन/परिवर्तन की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए केवल उपर्युक्त पोर्टल/वेबसाईट पर दी जाएगी।

उप महाप्रबंधक (उद्यान)

रेट कान्ट्रेक्ट आफर (आर.सी.ओ.) प्रमाणित सब्जी, मसाला एवं पुष्प बीजों के लिये

यह दस्तावेज निम्नानुसार कुल 23 पृष्ठ का है :

कमांक	विवरण	परिशिष्ठ कमांक	पृष्ठ कमांक
1	डिस्क्लेमर	परिशिष्ठ 1	5
2	रेट कान्ट्रेक्ट की प्रकिया	परिशिष्ठ 1	5
3	कार्य के अवसर	परिशिष्ठ 1	5–6
4	ऑफरकर्ताओं को निर्देश	परिशिष्ठ 1	6
5	ऑफर की सामान्य शर्ते	परिशिष्ठ 2	7–12
6	तकनीकी योग्यता एवं दस्तावेज जो वेबसाईट पर अपलोड किया जाना आवश्यक है एवं लिफाफा कमांक 1 में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारियां	परिशिष्ठ 3	13
7	ऑफरकर्ताओं को निर्देश	परिशिष्ठ 4	14
8	बीज के मापदण्ड	परिशिष्ठ 5	15
9	ऑफरकर्ता की आर्हता के संबंध में	परिशिष्ठ 6	16
10	वित्तीय ऑफर का प्रारूप	परिशिष्ठ 7	17–18
11	अनुबंध का प्रारूप	परिशिष्ठ 8	19
12	अनुबंध का प्रारूप का परिशिष्ठ	परिशिष्ठ 9	20
13	रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में भाग लेने हेतु कम्पनी द्वारा जारी अधिकार पत्र	परिशिष्ठ 10	21
14	रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में भाग लेने हेतु सहमति / घोषणा पत्र	परिशिष्ठ 11	22
15	ऑफरकर्ता का विस्तृत विवरण	परिशिष्ठ 12	23

निविदा में विभिन्न स्थानों पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनका तात्पर्य निम्नानुसार हैः–

निगम	दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. पंचानन भवन, तृतीय तल,मालवीय नगर भोपाल
क्रयकर्ता विभाग एवं प्राप्तकर्ता	विभाग जिनके द्वारा सामग्री क्रय के लिये आदेश दिया गया हो तथा प्राप्तकर्ता का अर्थ ऐसे विभागों के जिला/विकासखण्ड स्तर पर कार्यालय
आवेदन प्रपत्र/दस्तावेज	आवेदन पत्र एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का उल्लेख रेट कान्ट्रेक्ट प्रपत्र में किया गया है।
आवेदक/आफरकर्ता	उत्पादक अथवा उनके द्वारा अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर/डीलर जिनके द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रक्रिया में भाग लिया गया हो
प्रदायक	ऐसे आफरकर्ता जिनकी दरें रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत अनुमोदित की गई हो तथा निगम से प्रदाय हेतु आफरकर्ता द्वारा अनुबंध किया गया हो
संकल्प धनराशि (ई एम डी)	आफरकर्ता द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रक्रिया में भाग लेने हेतु जमा की गई राशि
धरोहर राशि	आफरकर्ता की दरों के अनुमोदन एवं निगम के साथ अनुबंध होने की दशा में प्रदायक द्वारा किये गये प्रदाय के विरूद्ध निगम को वांछित सुरक्षा निधि है तथा संकल्प धनराशि (ई एम डी) की राशि के रूप में धरोहर राशि के रूप में परिवर्तित हो जाएगी।
विभाग	विभाग का आशय किसान कल्याण तथा कृषि विभाग एवं उद्यानिकी तथा अन्य को शासकीय विभागों से है
प्रबंध संचालक	प्रबंध संचालक से आशय निगम के प्रबंध संचालक से है

परिशिष्ट 1

यद्यपि इस रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र को तैयार करने में पूर्ण सावधानियां बरती गई है तथापि रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र पूर्ण है इस बात की संतुष्टी आफरकर्ता स्वयं कर लेवें। रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र की किसी भी नियम/शर्तो के संबंध में कोई सुझाव/आपत्ति हो तो वह दिनांक 16.06.2019 को अपरान्ह् 2.00 बजे तक ई–मेल के माध्यम से mpagrohobpl@gmail.com पर भेजी जाए । प्राप्त सुझाव/आपत्ति पर समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा तथा लिया गया निर्णय दिनांक 23.06.2019 को **www.mptenders.gov.in** एवं **http://mpagro.org** पर अपलोड किया जाएगा । दिनांक 10.06.2020 को अपरान्ह् 2.00 बजे के पश्चात् प्राप्त होने वाले सुझाव/आपत्ति को मान्य नहीं किया जाएगा तथा यह माना जाएगा कि रेट कान्ट्रेक्ट आफर की समस्त नियमों एवं शर्तो तथा अपलोड किए गए समिति के निर्णय से सहमत होकर आफरकर्ता द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत किया गया है ।

2. रेट कान्ट्रेक्ट आफर की प्रकिया :

रेट कान्ट्रेक्ट आफर ई टेन्डिरिंग पद्धति के माध्यम से आमंत्रित किये गये है तथा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की प्रकिया निम्नानुसार है :

प्रकियाओं का विवरण	नियत दिनांक
रेट कान्ट्रेक्ट आफर का डाउनलोड किया जाना	दिनांक 29.5.2020 से दिनांक 18.06.2020 अपरान्ह् 1बजे तक
रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र की किसी भी नियम/शर्तो के संबंध में कोई सुझाव/आपत्ति को ई–मेल के माध्यम से mpagrohobpl@gmail.com पर भेजने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 08.06.2020 को अपरान्ह् 2.00 बजे तक
प्राप्त सुझाव/आपत्ति पर समिति के निणर्य की जानकारी अपलोड किये जाने की तिथि	दिनांक 10.06.2020 को अपरान्ह् 2.00 बजे तक
रेट कान्ट्रेक्ट आफर वेबसाईट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 11.6.2020 अपरांह 2 बजे से दिनांक 18.06.2020 अपरान्ह् 2 बजे तक
रेट कान्ट्रेक्ट आफर दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति (हार्ड कॉपी) निगम के मेजेनाईन फ्लोर स्थित निविदा बॉक्स में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 18.06.2020 अपरान्ह् 2 बजे तक (संकल्प धनराशि राशि आन लाईन जमा करना है । बिना संकल्प धनराशि के किसी भी आर. सी.ओ को विचार क्षेत्र में नहीं लिया जाएगा)।
वेबसाईट पर अपलोड किये गये तकनीकी दस्तावेजों को खोला जाना	दिनांक 19.06.2019 अपरान्ह् 3.30 बजे
उपयुक्त पाये गये आफर के वित्तीय प्रस्ताव को खोला जाना	सूचना निगम की वेबसाईट पर दी जाएगी।

3. कार्य के अवसर :

यह निगम किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी एवं शासन के अन्य विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आदानों का प्रदाय प्रदेश के सभी जिलों में स्थित निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से करता है। विभिन्न योजनाओं में लगने वाली आदान सामग्रियों की दर निर्धारित करने हेतु यह रेट कान्ट्रेक्ट आफर आमंत्रित किया गया है। रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत वांछित सामग्रियों का व्यवसाय निगम के माध्यम से संभावित है किन्तु व्यवसाय की मात्रा निर्धारित नही है। ऑफरकर्ताओं को सामग्री का प्रदाय विकासखण्ड स्तर तक करना होगा ।

4. आफरकर्ता को निर्देश :

सभी योग्य आफरकर्ताओं से वांछित है कि वे रेट कान्ट्रेक्ट आफर के प्रत्येक पृष्ठ का तथा इसमे वर्णित शर्तो को सावधानीपूर्वक अध्ययन करे ।

डिजीटल सिग्नेचर के साथ रेट कान्ट्रेट ऑफर में दिये गये निर्देशानुसार ऑफर को वेबसाईट पर अपलोड करे। यदि ऑफरकर्ता द्वारा ऑफर अपलोड नही किया जाता है तथा हार्ड कापी ही प्रस्तुत की जाती है तो ऐसे ऑफर को मान्य नही किया जाएगा।

रेट कान्ट्रेट ऑफर में वर्णित प्रपत्रों को 600 डी पी आई के रिजाल्यूशन में जे पी जी अथवा पी डी एफ फार्मेट में अपलोड करे । अन्य किसी फॉर्मेट में अपलोड किये गये प्रपत्रों को मान्य नही किया जाएगा। यदि अपलोड किये गये प्रपत्र अपठनीय पाये गये तो आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई हार्ड कापी को अंतिम मान्य किया जाएगा।

वेबसाईट से डाउनलोड किये गये आर सी ओ प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुए तथा अपलोड किये गये प्रपत्रों की स्केन कापी दिनांक 18.06.2020 अपरान्ह 5 बजे तक निगम के मेजेनाईन फ्लोर स्थित निविदा बॉक्स में प्रस्तुत करे।

सभी ऑफरकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि के पूर्व समस्त आवश्यक कार्यवाहियां कर लें जिससे अंतिम तिथि के दिन सर्वर, नेट वर्क आदि की समस्याओं के कारण आर.सी.ओ प्रस्तुत करने से वंचित न हों । आर.सी.ओ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय में कोई परिवर्तन सामान्यतया नहीं किया जाएगा ।

उप महाप्रबंधक उद्यान

दिनांक 31.03.2020 एवं आगे के लिये (बिन्दु क्रमांक 3.4 एवं 13–स) अनुसार परिशिष्ठ 5 के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने वाले एवं परिशिष्ठ 6 के अनुसार निर्धारित आर्हताओं को पूर्ण करने वाले ऑफरकर्ताओं से परिशिष्ट क्रमांक 7 में दरें आमंत्रित की जाती है।

दरें सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में निगम के जिला प्रबंधक के माध्यम से विकासखण्ड स्तर तक पहुंचाकर लागू रहेंगी। वेबसाईट पर अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी **परिशिष्ट क्रमांक 3**, ऑफरकर्ता को ऑफर प्रस्तुत करने के लिये सामान्य **निर्देश परिशिष्ट क्रमांक 4** तथा प्रदाय की जाने वाली सामग्रियों के मापदण्ड **परिशिष्ट 5** पर पर संलग्न हैं ।

रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर से संबंधित सामान्य शर्ते निम्नानुसार हैं :–

1. **ऑफर प्रस्तुत करने की आहर्ता**

प्रदाय के लिये ऑफरकर्ता की आर्हताएं **परिशिष्ट क्रमांक 6** अनुसार रहेंगी।

2. **आर सी ओ प्रपत्र का क्रय**

रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र का मूल्य **परिशिष्ट क्रमांक 5** (वापसी योग्य नही) है तथा निर्धारित राशि का आनलाईन भुगतान कर ऑफरकर्ता इस प्रपत्र को वेबसाईट www.mptenders.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे

3. **दर प्रस्तुत करने संबंधी शर्त**

3.1 ऑफरकर्ता द्वारा प्रदाय हेतु दर परिशिष्ट क्रमांक 7 अनुसार दी जाना आवश्यक है।

3.2 ऑफरकर्ता द्वारा निगम को जो दर प्रस्तुत की जावेगी, वह 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में विकासखण्ड स्तर तक एफ.ओ.आर. एवं सभी प्रकार के व्यय/कर सहित होगी ।

3.3 ऑफरकर्ता द्वारा जो दर निगम को ऑफर की गयी है वह रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर की **शर्त क्रमांक 20** के तहत् न्यूनतम होना आवश्यक है ।

3.4 रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर के तहत **अनुमोदित दरें दर सूची जारी होने से** 31.03.2021 तक **अथवा** निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक, जो भी बाद में हो, लागू रहेंगी।

3.5 ऑफरकर्ता द्वारा दरें अंकों में एवं शब्दों में दिया जाना आवश्यक है। अंकों एवं शब्दों में अंतर की दशा में दोनो में से न्यूनतम दर को मान्य किया जावेगा ।

4. **ऑफर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया**

(अ) **वेबसाईट www.mptenders.gov.in से डाउनलोड किये गये रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ को हस्ताक्षरित करते हुए ऑफर के साथ अपलोड किया जाना एवं हार्ड कॉपी निगम मुख्यालय में निर्धारित समय एवं तिथि तक प्रस्तुत की जाना आवश्यक होगी।** ई निविदा पद्धति के अन्तर्गत अपलोड किये गये दस्तावेज अपठनीय होने की दशा में ऑफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई हार्ड प्रति को अंतिम मान्य किया जाएगा।

(ब) एक ऑफरकर्ता से एक ही ऑफर स्वीकार किया जाएगा। यदि उत्पादक संस्था एवं उनके अधिकृत विक्रेता, दोनों ही के द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं तो ऐसे दोनों ऑफर्स को अमान्य किया जाएगा।

(स) रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र के **परिशिष्ट क्रमांक 7** में दरें प्रस्तुत की जाना आवश्यक होगा । शर्त क्रमांक 4 (ड) तथा रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर में अन्यत्र कहीं भी उल्लेखानुसार सभी वांछित जानकारियां/दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक है। वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न किये जाने की दशा में आफरकर्ता के आफर को निरस्त किया जावेगा।

(द) आफर के साथ संकल्प धन राशि के रूप में राशि परिशिष्ठ क्रमांक 5 अनुसार होगी जो आन लाईन प्रस्तुत करना है। संकल्प धन राशि के अभाव में प्रस्तुत किया गया आफर मान्य नहीं किया जावेगा।

(ड) प्रदाय हेतु तकनीकी विवरण ''लिफाफा क्रमांक 1 में आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। लिफाफा 1 में प्रस्तुत किये जाने वाले वाले दस्तावेजो का विवरण **परिशिष्ठ क्रमांक 3** पर सलग्न है।

4.1 बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा जारी अंतिम बीज प्रमाणपत्र –खरीफ एवं रबी से संबंधित फसलों हेतु वर्ष 2019–20 में उत्पादित बीज उत्पादन को ही मान्य किया जाएगा । (नियमानुसार रिवेलीडेटेड प्रमाणित बीज स्वीकार किये जाएगें)। आफरकर्ता जो दर प्रस्तुत कर रहे है, के पास अंतिम बीज प्रमाणपत्र होना आवश्यक है। **अंतिम बीज प्रमाणपत्र निगम के साथ अनुबंध निष्पादित करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होंगे। अनुबंध निष्पादन के लिये आफरकर्ताओं को पृथक से सूचना दी जाएगी। अंतिम बीज प्रमाणपत्र प्रस्तुत नही किये जाने की दशा में आफरकर्ता द्वारा जमा ई एम डी जप्त की जाएगी ।**

लिफाफे के ऊपरी भाग पर आफरकर्ता निम्नानुसार जानकारी अंकित करेगे :

1. प्रमाणित बीज के प्रदाय हेतु संकल्प धन राशि एवं अन्य तकनीकी विवरण – नियत तिथि 18.06.2020 को अपरान्ह 5.00 बजे के पूर्व बाक्स (जो इस कार्यालय के निगम के मेजेनाईन फ्लोर में रखा जाएगा) में प्रस्तुत किये जा सकेगे।
2. **वित्तीय आफर निर्धारित प्रारूप में केवल वेबसाईट पर अपलोड किये जाएगें ।**

5. सेंपल प्रस्तुत किये जाना :

सेम्पल प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

6. **सशर्त** रेट कान्ट्रेक्ट आफर अमान्य किया जाएगा ।

निगम द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की शर्त मान्य नही की जावेगी। सशर्त आफर को अमान्य किया जावेगा ।

7. संकल्प धन राशि :

रेट कान्ट्रेक्ट आफर के साथ संकल्प धन राशि (परिशिष्ठ क्रमांक 5 अनुसार होगी) आन लाईन प्रस्तुत करना आवश्यक है। संकल्प धन राशि के अभाव में प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट आफर को अमान्य किया जायेगा।

पूर्व में निगम में जमा संकल्प धनराशि/धरोहर राशि को इस रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत मान्य/समायोजित नही किया जाएगा।

8. **संकल्प धनराशि को जप्त किया जाना**

संकल्प धनराशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :–

1. निगम द्वारा आफरकर्ता के ऑफर को स्वीकृत/अमान्य/निरस्त करने के पूर्व अपना ऑफर वापस लिये जाने की दशा में।
2. ऑफर के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में।
3. आफरकर्ता द्वारा ऐसी कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छबि को हानि पहुंचे।
4. निगम के प्रबंध संचालक के निर्णयानुसार

9. धरोहर राशि :

(अ) आफरकर्ता द्वारा संकल्प धन राशि के रूप में जमा की गयी राशि आफरकर्ता के अनुबंध हस्ताक्षरित करने के पश्चात् धरोहर राशि के रूप में निगम के पास अनुबंध की प्रभावशीलता लागू होने तक जमा रहेगी।

(ब) अनुबंध की प्रभावशीलता **अवधि समाप्त होने के बाद** कोई विवाद न होनें की दशा में आफरकर्ता द्वारा लिखित में मांगे जाने पर धरोहर राशि बिना ब्याज के वापस की जा सकेगी।

(स) धरोहर राशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :–

(1) निगम आदेश के विरूद्ध निर्धारित समय सीमा में आदेशित सामग्री प्रदाय न किये जाने पर ।

(2) प्रदाय सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मांपदण्डों के अनुरूप न होनें की दशा में

(3) आफरकर्ता द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही करनें पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे/निगम को कोई व्यवसायिक हानि हो ।

(4) निगम के प्रबंध संचालक के निर्णयानुसार

10. <u>ऑफर की वैधता :</u>

प्राप्त ऑफर खोले जाने की तिथि से 180 दिवस तक मान्यता हेतु वैध रहेंगे । अंतिम निर्णय न होने की दशा में इस तिथि के पश्चात भी निगम प्राप्त दरों पर आवश्यक निर्णय ले सकेगा यदि आफरकर्ता ने प्रस्तुत दरों को अमान्य करने हेतु लिखित में निगम को सूचित नहीं किया गया हो ।

11. <u>रेट कान्ट्रेक्ट आफर का खोला जाना</u>

रेट कान्ट्रेक्ट आफर जो दिनांक **18.06.2020** तक वेबसाईट पर अपलोड किये जा सकेंगे तथा जिनकी हार्ड प्रति निगम मुख्यालय में रखे बाक्स में इसी दिन अपरान्ह 5.00 बजे तक प्राप्त होंगी, ऐसे आफरकर्ता के तकनीकी योग्यता संबंधी लिफाफा उपस्थित आफरकर्ताओं अथवा उनके मनोनीत प्रतिनिधियों के समक्ष **दिनांक 19.06.2019** अपरान्ह 3.30 बजे खोला जाएगा।

परीक्षणोपरांत योग्य पाये गये आफर्स के वित्तीय प्रस्तावों को आफरकर्ताओं के अथवा उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोले जाएंगे, खोलने की दिनांक निगम की वेबसाईट पर अपलोड की जाएगी तथा निगम के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाएगी । ऑफरकर्ताओं द्वारा परिशिष्ट 12 में उपलब्ध कराए गए ई–मेल एड्रेस पर भी इसकी सूचना दी जाएगी

<u>रेट कान्ट्रेक्ट आफर सूचना में कोई संशोधन/परिवर्तन किये जाने की दशा में संशोधन/परिवर्तन की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए केवल उपर्युक्त पोर्टल/वेबसाईट पर दी जाएगी।</u>

12. दरें स्वीकार की जाना :

12.1 सामान्यतः आमंत्रित रेट कान्ट्रेक्ट आफर में प्राप्त न्यूनतम दर को स्वीकार किया जाएगा।

12.2 प्राप्त दरों पर साधारणतः किसी भी प्रकार की दर चर्चा नहीं की जाएगी अतः ऑफरकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे अपनी न्यूनतम दर देवें। निगम के प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वे निगम स्तर पर निर्धारित दर का प्रति प्रस्ताव ऑफरकर्ता को दें ।

13. <u>अनुबंध का निष्पादन–</u>

(अ) जिन आफरकर्ता(ओं) की दरों को स्वीकार किया गया है अथवा जिन आफरकर्ताओं को प्रतिप्रस्ताव दिया गया है तथा जिन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है, को निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट क्र. 9,10) में राशि रूपये 1000/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा तथा अनुबंध को नोटराइज कराया जाना अनिवार्य है। ऐसे आफरकर्ता जिन्हे प्रतिप्रस्तावित दरें स्वीकार नही है , को '' प्रतिप्रस्तावित दरें स्वीकार नही है '' बाबत सूचना निगम को ई मेल एवं हार्ड कापी के द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रेषित करना आवश्यक होगी। प्रतिप्रस्ताव मान्य किये जाने की दशा में आफरकर्ता द्वारा निगम को सूचित करते हुए निर्धारित समयावधि में अनुबंध प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अनुबंध निष्पादित करने की सूचना चयनित ऑफरकर्ता को दी जावेगी एवं ऐसी सूची निगम के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाएगी।

(ब) जिन आफरकर्ता(ओं) की दरों को स्वीकार किया गया है तथा ऐसे आफरकर्ता(ओं) द्वारा निर्धारित समय सीमा में निगम के साथ अनुबंध निष्पादित नहीं किया जाता है तो निगम आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट आफर को अमान्य करते हुए जमा संकल्प धन राशि को जप्त (Forfeit) कर लेगा ।

(स) रेट कान्ट्रेक्ट आफर के तहत **अनुमोदित दरें दर सूची जारी होने से** 31.03.2021 **अथवा** निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक, जो भी बाद में हो, लागू रहेगी।

(द) निगम से अनुबंध निष्पादित किये जाने के पश्चात **आफरकर्ता को प्रदायक कहा जायेगा**

14. प्रदाय की प्रक्रिया –

(अ) परिशिष्ट क्रं.–5 में आदेश जारी करने हेतु अधिकृत द्वारा जारी किये गये प्रदाय आदेशानुसार निर्धारित अवधि में तथा आदेशित मात्रा के अनुसार निर्धारित मापदण्ड की सामग्री का प्रदाय प्रदायक द्वारा किया जाना आवश्यक है।

(ब) वांछित मात्रा में पैकिंग का कार्य संचालनालय उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण अथवा क्रेता विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

(स) सामग्री की गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रदायक की रहेगी । किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर प्रदायक द्वारा निरीक्षण कर शिकायत का निराकरण किया जाएगा। उपयोगकर्ता को उनके नुकसान की नियमानुसार भरपाई भी प्रदायक करेगा।

(द) बीज के प्रकरण में निर्धारित मापदण्ड पूरे करने के बावजूद भी निम्न परिस्थितियों में संबंधित लाट अस्वीकृत करने का अधिकार निगम को रहेगा –

1. बीज भीगा होने पर
2. प्रदायित बीज अशुद्ध होने पर
3. बीज घुना होने की दशा में
4. वांछित पैकिंग में न होने अथवा पैकिंग खुली/फटी होने की दशा में

15. **बिना आदेश** के कोई भी सामग्री का प्रदाय मान्य नही किया जाएगा तथा प्रदायक यदि ऐसा करता है तो ऐसे प्रदाय की समस्त जिम्मेदारी प्रदायक की होगी तथा ऐसे प्रदाय के लिये प्रदायक द्वारा जारी देयक के भुगतान के लिये निगम जिम्मेदार नही होगा।

16. **सामग्री के प्रदाय हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं समय सीमा**

(अ) प्रदायक द्वारा निगम के आदेशानुसार अधिकतम 15 दिवस के अंदर सामग्री प्रदाय करनी होगी। आवश्यकता अनुसार यह समय–सीमा घटाई भी जा सकती है ।

(ब) आदेशित मात्रानुसार सामग्री निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से निर्धारित विभाग/स्थान तक पहुंचाने की समस्त जवाबदारी संबंधित प्रदायक की रहेगी ।

(स) प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में ऐसी सामग्री के कन्साइनमेंट को प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति से ही मान्य किया जा सकेगा।

(द) प्रदायक द्वारा यदि प्रदायगी में विलंब किया जाता है एवं विलंब के कारण विभाग/निगम को हानि होती है तो इस हानि के लिए प्रदायक की जवाबदारी होगी, जिसकी वसूली निगम प्रदायक की धरोहर राशि एवं भुगतान हेतु निगम में प्रस्तुत अन्य देयकों से की जावेगी । हानि की राशि का निर्धारण निगम के प्रबंध संचालक द्वारा किया जावेगा जिसे प्रदायक द्वारा मान्य करना होगा। साथ ही निगम ऐसे प्रदायक की अनुमोदित दरों को निरस्त करते हुये जमा धरोहर राशि को जप्त कर सकेगा तथा ऐसे प्रदायक को आगामी 3 वर्ष के लिये प्रदाय से वंचित भी कर सकेगा ।

17. **आदेश की प्रक्रिया :**

(अ) विभिन्न विभागों से प्राप्त मांग के आधार पर आदेश परिशिष्ट क्रमांक 5 में उल्लेखानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे।

(ब) सामग्री की प्रदायगी निगम के जिला प्रबंधक के माध्यम से की जाना आवश्यक होगी। सामग्री का प्रदाय प्रदायक द्वारा सीधे विभाग को नही किया जाएगा।

(स) निगम द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित की गई प्रदायगी की तिथि/स्थल के संबंध में प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा परिवर्तन किया जाता है तो उसकी विधिवत सूचना प्रदायक को दी जावेगी तथा प्रदायक द्वारा परिवर्तित आदेश/सूचना के अनुसार आदेशित सामग्री प्रदाय करना आवश्यक होगी। उक्तानुसार परिवर्तन होने की दशा में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान निगम द्वारा प्रदायक को नही किया जावेगा ।

(द) परिवहन के दौरान आग, चोरी, एक्सीडेंट, टूटफूट आदि किसी भी प्रकार से सामग्री को हुए नुकसान की जवाबदारी प्रदायक की रहेगी। इस प्रकार से हुए नुकसान की भरपाई प्रदायक द्वारा ही पूरी की जाना होगी ।

18. कन्साइनमेंट को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार :

आदेशानुसार निर्धारित मापदण्ड/पैकिग/समय सीमा में सामग्री प्रदायक द्वारा प्रदाय किया जाना आवश्यक है। निम्न स्थितियों में प्रदायक द्वारा भिजवाया गया कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जा सकता है :—

(अ) उचित/निर्धारित पैकिग न होने की दशा में ।

(ब) निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् कन्साइनमेंट प्राप्त होने की दशा में ।

(स) बीजों के लिये शर्त क्र 14 (द) मे उल्लेखित परिस्थितियों में ।

यदि उक्त कारणो के आधार पर कन्सानइमेंट अस्वीकृत किया जाता है तो उसे निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रदायक को स्वयं के व्यय पर वापिस लेना होगा। किसी भी स्थिति में निगम कन्साइनमेंट वापिस होने से हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी नही रहेगा ।

19. भुगतान :

निगम द्वारा ''भुगतान पश्चात् भुगतान'' की शर्त अनुसार निगम मुख्यालय द्वारा आदेश जारी करने की दशा में निगम मुख्यालय द्वारा एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने की दशा में संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा निम्न प्रकार से प्रदायक के देयकों का भुगतान किया जावेगा :—

(अ) प्रदायक के देयक की 80 प्रतिशत राशि का भुगतान आदेशानुसार क्रेता विभाग की पावती एवं देयक की राशि प्राप्त होने की दशा में सामान्यतः 30 दिवस में किया जावेगा ।

(ब) देयक की शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा जारी किया गया संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर किया जावेगा।

20. प्रदायक द्वारा जो दरें निगम को प्रस्तुत की है वे दरें न्यूनतम होना आवश्यक है। निगम के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के प्रभावशील रहने तक प्रदायकों द्वारा अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य संस्थाओं/व्यक्ति/शासकीय विभाग या उपक्रम को प्रदाय किये जाने की जानकारी निगम के संज्ञान में आती है तो प्रदायक द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गई समस्त सामग्री पर वही कम दर लागू मानते हुये अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के भुगतान हेतु लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करते हुए प्रदायक की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक उत्तरदायी रहेगें।

21. आफरकर्ता/प्रदायक द्वारा आफर प्रस्तुत किए जाने की दशा में यह मान्य किया जावेगा कि उनके द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र को पूर्णतः एवं भली—भांति पढ़ लिया गया है एवं वे सभी शर्तो पर सहमत है।

22. रेट कान्ट्रेक्ट आफर के तहत निर्धारित शर्तो के उल्लंघन पाये जाने की दशा में अथवा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी/दस्तावेज दिए जाने की दशा में प्रबंध संचालक आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत/ निगम द्वारा स्वीकृत आफर को निरस्त करने एवं आफरकर्ता द्वारा जमा की गई संकल्प धन राशि/धरोहर राशि को जप्त करने के अधिकारी होंगे। साथ ही संबंधित प्रदायक को निगम के माध्यम से 1 से 3 वर्षों तक के लिये प्रदायगी से वंचित भी किया जा सकता है । इस संबंध में प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

23. प्रदायक द्वारा प्रदाय सामग्री से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत के निराकरण के संबंध में प्रदायक द्वारा नियमानुसार समय–सीमा में कार्यवाही की जाना होगी।

24. यदि आवश्यक हुआ तो निगम द्वारा नामांकित अधिकारी किसी भी कार्य–दिवस में आफरकर्ता के प्रतिष्ठान/उत्पादन स्थल/गोडाउन का निरीक्षण कर सकेगे।

25. प्रदायक एवं निगम के बीच यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रकरण निगम के महाप्रबंधक (उद्यान) को प्रस्तुत किया जावेगा, उनके निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण निगम के प्रबन्ध संचालक को प्रस्तुत किया जावेगा।

26. विवाद की स्थिति में वाद का क्षेत्र भोपाल न्यायालय होगा।

27. निगम के प्रबन्ध संचालक रेट कान्ट्रेक्ट आफर की किसी भी शर्त में अनुबंध निष्पादन के पूर्व परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र रहेगे ।

उप महाप्रबन्धक(उद्यान)

तकनीकी योग्यता, दस्तावेजों का विवरण जिन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है तथा लिफाफा 1 में प्रस्तुत किया जाना है का विवरण

क्रमांक	विवरण
1	**बीजोंत्पादन के लिये प्रयुक्त बीजों के स्त्रोत संबंधित दस्तावेज– प्रजनक बीजों के लिये मानिटरिंग रिपोर्ट, प्रयुक्त बीज के क्रय देयक, अंतिम बीज प्रमाणपत्र एवं आधार बीज का आधार बीजों का अंतिम बीज प्रमाणपत्र**
2	मध्यप्रदेश में उद्यानिकी फसलों के लिये उद्यानिकी विभाग (सीड एक्ट 1966 तथा सीड कन्ट्रोल आर्डर 1983 के अन्तर्गत) तथा कृषि फसलों हेतु किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा जारी द्वारा जारी बीज विक्रय का वैध लायसेंस जिसमें उत्पादक का नाम अंकित हो ।
3	बीजों की मात्रा जो निगम के माध्यम से प्रदाय हेतु उपलब्ध कराई जायेगी का विवरण अपलोड करे
4	आफरकर्ता फर्म का आयकर नम्बर (PAN)
5	विक्रय कर विभाग द्वारा जारी जी.एस.टी.नंबर (G.S.T.N.)
6	आन लाईन राशि जमा करना– परिशिष्ट क्रमांक 5 में उल्लेखानुसार
7	आफरकर्ता द्वारा परिशिष्ट 11 के अनुसार राशि रू 500/.. के नान ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर अन्डरटेकिंग
8	डाउनलोड किये गये रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर उपरांत आफरकर्ता द्वारा पूर्ण हस्ताक्षरित आर सी ओ प्रपत्र अपलोड किया जाना है (पृष्ठ क्रं. 1 से 22 तक तथा परिशिष्ट 1 से 11 तक)
9	**परिशिष्ठ क्रमांक 11 में वर्णित घोषणा पत्र**

* आवश्यकता होने पर अपलोड किये जाए

वित्तीय आफर

परिशिष्ट क्रमांक 7 के दिये गये प्रारूप में वित्तीय आफर अलग से वेबसाईट पर ही अपलोड किए जाना है तथा इसकी हार्ड कॉपी प्रस्तुत नहीं की जाना है ।

आफरकर्ताओं के लिये सामान्य निर्देश

1. रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र www.mptenders.gov.in वेबसाईट से डाउनलोड किया जाना आवश्यक है। आफरकर्ता द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये जाना एवं सील लगायी जाना आवश्यक है। **रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये जाने एवं सील नही लगाये जाने की दशा में आफर अमान्य किया जाएगा।**
2. परिशिष्ट क्रमांक 3 के अनुसार स्व–प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाना आवश्यक है।
3. अर्हता संबंधी **शर्त क. 1, शर्त क 4 (ड)** तथा कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र में अन्यत्र कहीं भी उल्लेखानुसार वांछित जानकारी प्रस्तुत की जाना आवश्यक है।
4. रेट कान्ट्रेक्ट आफर की शर्त क. 4 (द) के अनुसार संकल्प धनराशि जमा की जाना आवश्यक है।
5. परिशिष्ट 7 में दर प्रस्तुत की जाना आवश्यक है।
6. निर्धारित समय तक रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत किए जाने आवश्यक है।
7. सशर्त रेट कान्ट्रेक्ट आफर अस्वीकार किये जाएगें।

परिशिष्ठ क्रमांक 5

सामग्री के मापदण्ड, आर.सी.ओ. प्रपत्र मूल्य, संकल्प धनराशि एवं आदेश जारी करने के लिए अधिकृत की जानकारी

1. इस आर सी ओं के अन्तर्गत मैथी, धनिया, लहसून, हल्दी, अदरक एवं प्याज तथा बरसीम के प्रमाणित बीजों की दरें आमंत्रित की गई है।

2. सामग्री के मापदण्ड – आमंत्रित की गई दरें प्रमाणित बीजों से संबंधित हैं, अतः केवल उन्हीं प्रमाणित बीजों की दरें मान्य की जाएंगी जिन बीजों के उत्पादन के लिये आफरकर्ता द्वारा बीज प्रमाणीकरण में पंजीयन कराया गया हो तथा उत्पादित प्रमाणित बीजों के अंतिम बीज प्रमाण पत्र ऑफरकर्ता के पास उपलब्ध हो। अंतिम बीज प्रमाण पत्र में उल्लेखित मात्रा की सीमा तक ही बीज उपलब्ध होने की दशा में आदेश जारी किए जा सकेंगे । रबी फसलों से संबंधित बीजों हेतु ऑफरकर्ता को उत्पादन कार्यक्रम के बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा सत्यापित प्रति (यदि अंतिम बीज प्रमाण पत्र नहीं है तो) उपलब्ध करानी होगी तथा ऐसे बीजों की दरें केवल अंतिम बीज प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर ही मान्य की जाएंगी ।

3. **आर.सी.ओ. प्रपत्र मूल्य राशि रूपये 5,900.00 (रूपए पांच हजार नौ सौ मात्र) ***

4. **संकल्प धन राशि – राशि रूपए 1,00,000.00 (रू एक लाख मात्र) ***

   * क्रमांक 3 एवं 4 में उल्लेखित राशि आन लाईन जमा करना है तथा लिफाफे के उपर ''आर. सी.ओ.क्रमांक, सामग्री का नाम एवं ऑफरकर्ता के नाम एवं पते का पूर्ण विवरण दिया जाना आवश्यक है ।

5. आदेश जारी करने के लिए अधिकृत – **निगम मुख्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी** ।

ऑफरकर्ता की आर्हता के संबंध में

वही ऑफरकर्ता रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर में भाग ले सकेंगे जिनके द्वारा स्वयं के नाम से प्रमाणित बीजों के उत्पादन का कार्यक्रम लिया गया है तथा बीज प्रमाणिकरण संस्था द्वारा जारी अंतिम बीज प्रमाण पत्र उपलब्ध हों तथा अंतिम बीज प्रमाण पत्र में अंकित मात्रा की सीमा में निगम को बीज प्रदाय करने के लिए सहमत हों । रबी फसलों से संबंधित बीजों हेतु ऑफरकर्ता को उत्पादन कार्यक्रम के बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा सत्यापित प्रति (यदि अंतिम बीज प्रमाण पत्र नहीं है तो) उपलब्ध करानी होगी तथा ऐसे बीजों की दरें केवल अंतिम बीज प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर ही मान्य की जाएंगी ।

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल
31.03.2021 एवं आगे के लिये

वित्तीय आफर (FANANCIAL OFFER)

01. NAME OF THE OFFERER ....

PRICE SCHEDULE (FINANCIAL BID)

Sl. No.	Item Description	VERITY	Quantity	Units	BASIC RATE In Figures To be entered by the Bidder in Rs. P	GST AMOUNT	TOTAL AMOUNT Without Taxes in Rs. P	TOTAL AMOUNT With Taxes	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	3	4	5	13	15	53	54	55
CERTIFIED MASALA SEED & Barseem Seed									
1.01	Fenugreek		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.02	Coriander								
1.03	Garlic		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.04	Ginger		1.000	KG			0.00	0.00	

1.05	Turmeric		1.000	KG			0.00	0.00	
									INR Zero Only
1.06	Onion		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.07	Barseem		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only

आफरकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

परिशिष्ट 8

:: अनुबंध ::

(निगम द्वारा ऑफर मान्य करने की दशा में सूचित किए जाने पर राशि रू. 1000.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराइज करवाकर प्रस्तुत किया जाना है)

यह अनुबंध आज दिनांक .... को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है तथा आगे इसे ''निगम'' कहा जावेगा एवं मेसर्स .... की ओर से श्री .... जिनके हस्ताक्षर अनुबंध पर है, जिन्हें आगे प्रदायक कहा जावेगी के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्व ारा समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर प्रमाणित /सत्यरूप सब्जी बीज_प्रदाय हेतु दिनांक .... को ऑफर आमंत्रित किये गये थे । प्रदायक द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर (आर.सी.ओ.) क्रय करते हुए आर.सी.ओ. की सभी शर्तो को मान्य करते हुए आर.सी.ओ. में भाग लिया गया है । आर.सी.ओ. डाक्यूमेंटस अनुबंध का हिस्सा है ।

निगम द्वारा पत्र क्रमांक .... दिनांक .... से प्रदायक के ऑफर को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत् कार्यवाही की गई है ।

निगम द्वारा प्रदायक की जिन प्रमाणित सब्जी बीजों हेतु दरों को स्वीकृत किया गया है का विवरण संलग्न परिशिष्ट 3 ''अ'' पर उल्लेखित है की (आर.सी.ओ.) की निर्धारित शर्तो अनुसार निगम को प्रदाय करने हेतु सहमत है ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्ते एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे एवं अनुबंधकर्ता को मान्य होगें । शर्तो एवं नियमों का अनुबंधकर्ता उल्लंघन करता है तो निगम पूर्ण रूप से आर सी ओ डाक्यूमेंट अनुसार कार्यवाही करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकारी रहेगा ।

1. आर.सी.ओ. डाक्यूमेंट में उल्लेखित सभी शर्ते ।
2. प्रदायक का सहमति पत्र दिनांक ....
3. प्रदायक द्वारा प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर व अन्य जानकारियां ।

उक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेज/दस्तावेजों के उल्लेखित नियम व शर्ते अनुबंध का हिस्सा रहेंगे । अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम ओर मान्य रहेगा।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्ष के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

हस्ताक्षर प्रदायक	हस्ताक्षर उप महाप्रबंधक (उद्यान)

गवाह :

1.

2.

परिशिष्ट 9

:: अनुबंध का परिशिष्ट ::

प्रदायक का नाम एवं पता ....

....

फोन नम्बर ....

फैक्स नम्बर ....

मोबाईल नं. ....

क्र0	प्रमाणित बीज बीज का नाम	प्रजाति	प्रदाय दर रूपये प्रति किलो सभी कर एवं 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित एफ. ओ.आर.विकास खण्ड स्तर तक पहुंचाकर	
			अंकों में	शब्दों में

प्रदायक के हस्ताक्षर
एवं सील

Authority to submit Tender
(On Producer company's letterhead)

To,

The Managing Director

M.P.State Agro Industries Development Corporation Ltd.

Panchanan Bhawan, 3rd Flore ,

Malviya Nagar,

Bhopal

Sub : Authority to submit Rate Contract Offer

Dear Sir,

I…………………………………………………………Designation .... hereby authorize Shri …………………………………………………Designation …………………to submit Rate Contract Offer M.P. State Agro Industries Corporation Ltd on behalf of the company due on 18.06.2020.

We hereby undertake that the Company shall abide by all the terms and conditions as mentioned in Tender Document. I further certify that I am authorized to issue this certificate on behalf of the company. If an order is placed with the authorized company as above, the company undertakes to supply the order as per terms and condition of RCO.

(Signature)

Name

Designation

Tel No

Mobile No

E mail

(In case offer is submitted by the proprietor , this certificate is not required.Proprietor is advised to declare that he is proprietor of the firm and submitting Rate Contract Offer.)

वर्ष 2020–21 में निगम के माध्यम से प्रमाणित बीज के प्रदाय हेतु रेट कान्ट्रेक्ट आफर बाबत् सहमति पत्र एवं घोषणा पत्र

मैं ....मेसर्स ....की ओर से जो निगम द्वारा आमंत्रित रेट कान्ट्रेक्ट आफर में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हूँ । मेसर्स ....द्वारा जारी अधिकार पत्र की मूल प्रति संलग्न है। निगम के रेट कान्ट्रेक्ट आफर में उल्लेखित शर्तो के अनुसार .... के बीजों के प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ ।

एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) द्वारा हमारे ऑफर को मान्य किये जाने की दशा में आदेशानुसार अनुबंध की समय सीमा में निर्धारित शर्तो एवं मापदण्ड अनुसार निर्धारित दरों पर आदेशित सामग्री समस्त मध्य प्रदेश में प्रदाय हेतु मैं/हम सहमत है । हम रेट कान्ट्रेक्ट आफर की सभी शर्तो से सहमत हैं एवं तदानुसार प्रदायगी का कार्य करेंगे । यदि अनुबंध उपरांत निगम द्वारा दिये गये आदेशों से संबंधित प्रदायगी में किसी प्रकार की शिकायत आती है अथवा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की शर्तो का उल्लंघन होने से निगम को अथवा उनके हितग्राहियों को हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति निगम हमारे द्वारा जमा की जा रही धरोहर राशि रूपये ..../– एवं हमारे बिलों से कर सकता है ।

हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है तथा हमें न ही कभी प्रदाय के लिये दंडित किया गया है । इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है ।

संकल्प धन राशि रूपये ..../– प्रस्तुत की जा रही है, जो हमारा ऑफर मान्य होने की दशा में में धरोहर राशि के रूप में निगम के पास जमा रहेगी ।

हमारे द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की सभी नियम एवं शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया गया है एवं हम तदानुसार सभी शर्तो पर पूर्ण रूप से सहमत हैं ।

दिनांक :

आफरकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

गवाह

.... (हस्ताक्षर)

....

नाम एवं पता

(रूपये 500.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित एवं नोटराइज्ड कराकर प्रस्तुत करना है)

THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
PANCHANAN, III FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL

DETAILS OF THE OFFERER

1	Name of Individual Offerer State Private or Public Limited / Co-operative Institution.	------------------------------------ -----------------------------------
2	Complete Postal address of the individual Offerer including name of Principal Officer/Person /Chairman/Managing Director	-----------------------------
	PHONE NO. Fax. No.	Office : Mobile : Fax___________
3	E mail address	
4	Particular of the Registration certificate issued	Registration No. Date________________
5	GST Registration number.	
6	**Name/Names of Proprietors / Partners/Directors including full address (enclose partnership deed/ Memorandum & Articles of Association/ Society Registration (as the case may be).**	
7	Name and address of Bankers with Telephone Numbers along with bank account no of offerer	Name of the Banker Name of the Branch Tel.No. Bank Account No
8	State whether Producer / Distributor / Dealer.	___________
9	Whether Debarred or penalized by any Central/State govt. organization at any time If the reply is yes, when & why give proper details (use separate sheet, if required).	Yes / No.
10	**Have you ever supplied any item to this Corporation, If yes, give details of item and year of supply.**	-----------------------
11	Do you have any associate company(s)?	------------------------
12	**Do your Directors / Partners have interest in some other Offerer/ Society. If yes, give details.**	----------------------
13	Is any of your relative working or serving in this Corporation in any capacity?	---------------------
14	Are you having any branch office? If yes, please give details of address, Telephone No. Fax No. etc.	---------------------
15	Surety Money (S.M.D.) for registration	Amount : DD No. : Date :

Signature of Offerer

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
Panchanan, 3rd Floor, Malviya Nagar, Bhopal-462 003
Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305
Email: mpagrohobpl@gmail.com
CIN No U01119MP19695GC001055

मुख्या/आर सी ओ/उद्यान/2020–21/.......... भोपाल, दिनांक 29.5.2020

रेट कान्ट्रेक्ट आफर (आर सी ओ) द्वितीय आमंत्रण सूचना

निगम द्वारा 31.03.2021 एवं आगे के लिये निगम द्वारा निम्नानुसार सामग्रियों के लिये रेट कान्ट्रेक्ट आफर आमंत्रित किये जाते है :

आर सी ओ कमांक	सामग्री का नाम	आर सी ओ प्रपत्र का मूल्य (जीएसटी सहित)	संकल्प धन राशि
उद्यान/1/2020	प्रमाणित मसाला एवं बरसीम बीज (Certified seed)	रू 5900/..	रू 1,00,000/–

आर.सी.ओ. में निर्दिष्ट आर्हताएं पूर्ण करने वाले उत्पादक/प्रदायक से ई टेन्डरिंग के अन्तर्गत दर प्रस्ताव संकल्प धनराशि के साथ दिनांक 18.06.2020 को अपरान्ह 2 बजे तक आमंत्रित किये जाते है। विस्तृत जानकारी www.mptenders.gov.in तथा निगम की वेबसाईट http://mpagro.org पर उपलब्ध है। दस्तावेज www.mptenders.gov.in से अपलोड किए जा सकेंगे तथा इसी वेबसाईट पर डाउनलोड किए जाना हैं । रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर सूचना में कोई संशोधन/परिवर्तन किये जाने की दशा में संशोधन/परिवर्तन की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए केवल उपर्युक्त पोर्टल/वेबसाईट पर दी जाएगी।

उप महाप्रबंधक (उद्यान)